




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 406]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 1994/श्रावण 25, 1916

No. 406]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 1994/SRAVANA 25, 1916

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1994

का. आ. 595(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा तटीय विस्तारों को तटीय विनियमन परिक्षेत्र घोषित किया गया था और उक्त परिक्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विस्तार, संक्रियाओं और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे ;

केन्द्रीय सरकार ने तटीय परिक्षेत्रों में पर्यटन और होटल सुविधाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए श्री बी.बी. वोहरा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी ;

और उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 31 दिसंबर, 1992 को प्रस्तुत की थी और केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उक्त अधिसूचना और कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव करती है ;

और सं. का. आ. 859 (अ), तारीख 11 नवंबर, 1993 द्वारा जनता से आक्षेप/सुझाव मांगे गए थे और केन्द्रीय सरकार ने उन पर संयुक्त रूप से विचार किया था और उनकी जांच की थी ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम 3 के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

[का. आ. सं. 114(अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 का संशोधन]

केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण

और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

(क) पैरा-1 में, “इस अधिसूचना के उच्च ज्वार रेखा शब्दों में आरम्भ होने वाले और खाड़ी अथवा पश्च जिलों अथवा नदी की चौड़ाई, जो भी कम हो से कम नहीं होगी पर शब्दों के समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ; अर्थात्:—

“इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उच्च ज्वार रेखा से अभिप्रेत है भूमि संबंधी वह रेखा जिस तक वृहत् ज्वार के दौरान उच्चतम जल रेखा पहुंचती है और जिसका सीमांकन भारत के महा भूवर्षण के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत सीमांकन प्राधिकारी द्वारा देश के सभी भागों में ममान रूप से किया जाएगा।

टिप्पण :—

नदियों, संकरी खाड़ियों और पश्च जल की दशा में उच्च ज्वार रेखा से दूरी दोनों ओर लागू होगी और उसमें तटीय परिक्षेत्र प्रबंध योजनाएं तैयार करते समय प्रत्येक मामले के आधार पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आंतरित किया जा सकेगा। तथापि, यह दूरी 50 मीटर से या संकरी खाड़ी, नदी या पश्च जल की चौड़ाई में जो भी कम हो, कम नहीं होगी। वह दूरी जिस तक नदियों, संकरी खाड़ियों तथा पश्च जल के साथ विकास को विनियमित किया जाना है, उस दूरी से विनियमित किया जाएगा जिस तक यथास्थिति नदियों, संकरी खाड़ियों या पश्च जल, में सागर ज्वार प्रभाव का अनुभव किया जाता है और उसे तटीय परिक्षेत्र प्रबंध योजनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जाना चाहिए”;

(ख) उपबंध 2 के पैरा 7 के उप पैरा 1 में मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मदे रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(1) परियोजना प्रस्तावक उच्च ज्वार रेखा से भूमि की ओर 200 मीटर के तथा निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच के क्षेत्र के भीतर कोई निर्माण नहीं करेगा;

परन्तु केन्द्रीय सरकार भौगोलिक विशेषताओं तथा संपूर्ण तटीय परिक्षेत्र प्रबंध योजनाओं को ध्यान में रखते के पश्चात् और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कोई निर्माण ऐसी शर्तों और निबंधनों के जो वह ठीक समझे, अधीन रहते हुए अनुमोदन कर सकेगी;

(1क) वर्षी पौधों के आनाछादन सहित विद्युतमय बाड़ और कंटीली तार की बाड़ निजी संपत्तियों के आसपास इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जा सकेगी कि ऐसी बाड़ से लोगों को समुद्र तट तक पहुंचने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न न हो;

(1ख) रेत के टीलों को समतल नहीं किया जाएगा;

(1ग) गॉल पोस्ट, नेट पोस्ट और लैम्प पोस्टों के निर्माण के सिवाय खेलकूद सुविधाओं के लिए कोई स्थायी अनुज्ञात नहीं किया जाएगा,

(1घ) नहरखानों (बेसमेंटों) का निर्माण इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा कि राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण से इस आशय का निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है कि ऐसे निर्माण से उस क्षेत्र में भूगर्भ जल के अबाध प्रवाह पर प्रतिबल प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण ऐसा निराक्षेप प्रमाण पत्र देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग-दर्शक सिद्धांतों पर ध्यान देगा।

स्पष्टीकरण : यद्यपि एफ. एस. आई की गणना के प्रयोजनों के लिए विकास इतर परिक्षेत्र में निर्माण अनुज्ञात नहीं है, फिर भी संपूर्ण भूखण्ड के क्षेत्र को, जिसके अंतर्गत वह भाग भी है जो विकास इतर परिक्षेत्र के भीतर आता है। हिमाब में लिया जाएगा”।

[फा. सं. के-15019/1/84-आईए-III]

के. के. बक्शा, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 1994

S.O. 595(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification) Coastal Stretches were declared Coasts Regulation Zones and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

And whereas the Central Government constituted an Expert Committee under the Chairmanship of Shri B. B. Vohra to examine the issues relating to industries, operations and processes in the said zone;

And whereas the said Committee submitted its report to the Central Government on 31st day of December, 1992 and the Central Government after considering the said report proposes to make certain amendments in the said notification;

And whereas vide No. S.O. 859(E), dated the 11th November, 1993, the objections/suggestions from the public were invited and duly considered and examined by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the aforesaid notification :—

[Amendment to No. S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991]

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment Protection Rule, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991, namely :—

- (a) in paragraph 1, for the portion beginning with the words "For purposes of this notification, the High Tide Line" and ending with the words "width of the creek, river or back water whichever is less", the following shall be substituted, namely :—

"For the purposes of this notification, the High Tide Line means the line on the land upto which the highest water line reaches during the spring tide and shall be demarcated uniformly in all parts of the country by the demarcating authority so authorised by the Central Government in consultation with the Surveyor General of India.

NOTE :—

The distance from the High Tide Line shall apply to both sides in the case of rivers, creeks and back waters and may be modified on a case by case basis for reasons to be recorded while preparing the Coastal Zone Management Plans. However, this distance shall not be less than 50 metres or the width of the creek, river or back-water whichever is less. The distance upto which development along rivers, creeks and back-waters is to be regulated shall be governed by the distance upto which the tidal effect of sea is experienced in rivers, creeks or back-waters, as the case may be, and should be clearly identified in the Coastal Zone Management Plans";

(b) In Annexure II, in paragraph 7, in subparagraph (1), for item (i), the following items shall be substituted, namely :—

- (i) The project proponent shall not undertake any construction within 200 metres in the land-ward side from the High Tide Line and within the area between the Low Tide and High Tide Lines :

Provided that the Central Government may, after taking into account geographical features and overall Coastal Zone Management Plans, and for reasons to be recorded in writing, permit any construction subject to such conditions and restrictions as it may deem fit ;

- (ia) live fencing and barbed wire fencing with vegetative cover may be allowed around private properties subject to the condition that such fencing shall in no way hamper public access to the beach;
- (ib) no flattening of sand dunes shall be carried out;
- (ic) no permanent structures for sports facilities shall be permitted except construction of goal posts, net posts and lamp posts,
- (id) construction of basements may be allowed subject to the condition that no objection certificate is obtained from the State Ground Water Authority to the effect that such construction will not adversely affect free flow of ground water in that area. The State Ground Water Authority shall take into consideration the guidelines issued by the Central Government before granting such no objection certificate.

EXPLANATION :

Though no construction is allowed in the no development zone for the purposes of calculation of FSI, the area of entire plot including the portion which falls within the no development zone shall be taken into account".

[File No. K-15019/1/84-IA.III]

K. K. BAKSI, Addl. Secy.

